take other measures necessary and also make a statement in the House on these two incidents.

REFERENCE TO THE ALLEGED SHORT-FULLING OF COOKING GAS CYLINDERS BY SUPPLIERS IN DELHI

श्री राम भगत पासवान (बिहार) : उपसभापति महोदय, मैं द्याप के माध्यम से सरकार का ध्यान, पेट्रोलियम मिनिस्टर का ध्यान उन गैस सिलन्डर के एजेंटों द्वारा की गयी धांधली ग्राँर भ्रष्टाचार की तरफ दिलाना चाहता हं जो कि खाली गैस सिलन्डर सप्लाई करके पब्लिक से पूरा पैसा वसूल करते हैं। जो गैस सिलन्डर सप्लाई करते हैं उन की गैस कभी 15 रोज, कभी 10 रोज और कभी दो रोज ही चलती है लेकिन पब्लिक से पुरा चार्ज लेते हैं। जब कभी पब्लिक उस एजेंट के यहां इस बात की शिकायत करती है तो यह इस तर के से बिहेब करते हैं कि पव्लिक गलत बता रही है ग्रीर वही सस्य हों। उस का कहीं कोई निराकरण नहीं हो रहा है। मिनिस्टर के पास या सरकारी अधिकारी के पास लिखा जाता है तो उस का कोई जवाब नहीं विलता है। मेरे ही साथ एक ऐसी घटना हई कि 15-4-83 को एक गैस सिलन्डर हमारे डेरे पर आया और 17 अप्रैल को खत्म हो गया।

श्री उपसमापति : कितने घंटे चलता रहा ?

श्री राम भगत पासवान : दो रोज चलता रहा।

श्री उपसमापति : 48 घंटे चलता रहा ?

श्री राम भगत पासवान : उनका वजन पब्लिक के सामने नहीं होता। उस पर मनमानी सील रहती है। पब्लिक के पास वजन करने का कोई साधन नहीं। इस तरीके से मनमाने तरीके से सप्लाई करते हैं। कभी 15 रोज चलता है जो कि ठीक ही है, दस रोज में भी खतम हो जाता है। कोई रोज में ही खत्म हो जाना है हर जगह से यह कम्पलेंट ग्रा रही हैं। एक एजेंट है होम सर्विस कारपोरेशन फार साउथ एवेन्य गैस सर्विसेज, 19 वसरूरकर मार्केट, मोती वाग, नयी दिल्ली-इन के विरुद्ध 18-4-83 को पत्न संस्या 108 दिनांक 18-4-83 को मैंने लिखा, लेकिन ग्रभी तक कोई जवाब नहीं आया है। इस तरीके से यह लोग निभय हो कर पब्लिक को चीट कर रहे हैं। हम मंत्री महोदय से ब्राग्रह करेंगे कि जो खाली गैस सिलन्डर सप्लाई कर के जनता को चीट किया जा रहा है ऐसे एजेंटों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाय, पब्लिक की कम्पलेंट पर ब्यान दिया जाय, उस का एजेंसी लाइसेंस कैंसिल की जाय, उस पर मकदमा चलाया जाय ग्रीर कड़ी से कड़ी सजा दी जाय ताकि पब्लिक को इस तरह से चीट न किया जा सहे।

REFERENCE TO THE REPORTED DEPLORABLE STATE OF AFFAIRS OF THE CHILDREN'S REMAND HOME, ALEPUR, DELHI

श्री घनश्याम सिंह (उत्तर प्रदेश):
माननीय उपसभापति जी, मैं श्राप के
माध्यम से सरकार का ध्यान राजधानी
में बालगृहों की स्थिति की श्रोर श्राहण्ट करना चाहता हूं। श्रभी पिछले दिनों 29 मार्च, को श्रलीपुर बालगृह से 43 बच्चे भाग गये। उसके कारण बाल गृहों की स्थित यह दिखाई पड़ती है कि वहां वच्चों के रहने की व्यवस्था ठीक नहीं है। वहां पर कमरे इत्यादि ऐसे नहीं है कि वहां पर बच्चों को रखा जा सके। बच्चों

श्रा धनश्याम सिह के इलाज के लिए जहां पर उचित व्यवस्था नहीं है। डाक्टर भी कोई नहीं है। यह मैं ग्रलीपुर बालगृह की स्थिति बता रहा हं। वहां टेलीफोन नहीं है। सुरक्षा के लिए जितने कर्मचारी होने चाहिए वह भी पर्याप्त नहीं हैं। पीने का पानी खारा है जिस को पीने में बच्चों को कठिनाई होती है। बच्चों को सुधारने के लिए वातावरण पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता । जो बच्चे बालगह ग्राते हैं उनकी फोटो वगैरह खिचवानी चाहिए, लेकिन इस नियम का मस्तैदी से पालन नहीं किया जा रहा है। इन परिस्थितियों में वच्चों का भागने की इच्छा करना स्वामाविक है। यह हालत उस वालगृह की है जिस को सब से ग्रच्छा समझा जाता है। ग्रीर प्रदेशों में जो वालगृह जो वहां चल रहे हैं वहां इससे भी भयंकर स्थिति है। लेकिन उनके बारे में मैं विशेष कुछ यहां नहीं कहना चाहता। सरकार की नीति के अनुसार बच्चों की देख भाल के लिये, उनकी सुरक्षा के लिये, उनके कल्याण कार्यों के लिये, उनकी शिक्षा के लिये. उनकी देनिंग के लिये तथा उनके पनवीस ग्रीर रोजगार के लिये वहां पुरी व्यवस्था होनी चाहिए। यह तमाम सब का ग्रजाव वहां पर है। इस लिये मैं ग्राप के माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि वहां पर इन सब चीजों के लिये प्रभावी कदम उठाये जायं ताकि इस प्रकार की घटनायें द्वारा नहीं।

साथ ही एक और निवेदन करना चाहूंगा कि वहां जो घटना घटी है इसकी सही जांच कर के कोई ऐसी प्रभावी कार्यवाही की जाय जिससे और दूसरे जो बाल गृह हैं उनमें इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके । क्योंकि जो इस बाल गृह के बच्चे भागे हैं वहां पता लगा है कि वहां के क्येर टेकर ने जराव पी रखी थी और उस स्थिति में वहां से बच्चे भागे हैं। इससे ही वहां के बातावरण का पता चलता है और वहां का एक चित्रण सामने आता है।

दूसरा एक और निवेदन करना चाहूंगा कि बाल गृहों में केवल आवारा बच्चे ही नहीं जाते। कुछ बच्चों को वैदे ही पकड़ कर पुलिस वहां भेज देती है। पुलिस के इस प्रकार के कार्य करने के तराके में सुधार किया जाय और केवल जो आवारा या दोषी बच्चे हैं वे ही वहां पर भेजे जाएं।

REFERENCE TO THE REPORTED UNSATISFACTORY SERVICE CONDITIONS OF HOME GUARD PERSONNEL IN WEST BENGAL

SHRI ARABINDA GHOSH (West Bengal); I want to draw the attention of the Home Minister through you to the deplorable conditions of service of Home Guards in West Bengal. As per the Central Government's Order No. 47/24/62)ERI dated 11-1-63 37,000 Home Guards were appointed in the districts of West Bengal as voluntary force. All of them come from lower middle class families. They have taken this service as the only mode of living. Almost all of them earn their bread through homeguard duties, for which they are paid Rs. 12.32 on daily wage basis. Most of them are working for 5 years to 10 years without regular service as granted to Police force. The principle of equal pay for equal work is denied to them. As per the direction of the Government of India, the status of Home Guard jawans was equal to that of jawans of police and their duties were complementary to that of Police. Moreover, this service is not permanent. They perform responsible duties like controlling traffic, protecting vital Government installations, guarding Government properties, security of water supply, etc. On an average they are allotted duties for five months in a